

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

सं०-1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017

विषय :- उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन हेतु CWC, New Delhi, Government of Bihar, Government of Jharkhand एवं WAPCOS Ltd, New Delhi के बीच सम्पन्न एकरारनामा में संशोधन (Amendment) पर सहमति के संबंध में।

1. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-28.11.2017 को उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों के लिए केन्द्र सरकार के निर्णयों के आधार पर तीन अदद एकरारनामों—MoU, (Amongst State of Bihar, State of Jharkhand and Government of India) Contract Agreement (Amongst CWC New Delhi WRD, Government of Bihar WRD, Government of Jharkhand and WAPCOS Ltd.) और NABARD से ऋण प्राप्त करने हेतु MoA सम्पादित करने के प्रारूप पर सहमति प्रदान की गयी थी, जिसे विभाग के संकल्प 956, दिनांक-26.12.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।
2. जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा सवर्द्धन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा किये जाने हेतु पत्रांक-1602-1611 दिनांक-09.05.2017 द्वारा CE, IMO CWC की अध्यक्षता में गठित तकनीकी पदाधिकारियों के Technical Evaluation Committee (TEC) की पाँचवी बैठक में सभी सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में हस्ताक्षरित Contract Agreement के निम्न बिन्दुओं पर संशोधन (Amendment) हेतु झारखण्ड सरकार की सहमति दी जाती है :-

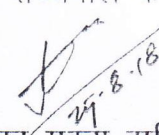
Clause No	Ref. to Page/Para Of Contract Agreement	What has been stated in the Agreement	To be amended as
3.	Appendix-E, Page 36 'Duties of the consultant' Clause 3- Tender Engineering	Tenders shall be evaluated by duly constituted committee within M/S WAPCOS Ltd. and recommendation shall be sent to TEC for approval.	Clause 'deleted'
3.	Appendix-E, Page 36 'Duties of the consultant' Clause 3- Tender Engineering	After approval from TEC, M/S WAPCOS Ltd. shall award the work to the contractors.	M/s WAPCOS Ltd. shall award the work to the contractors following the procedure as per GFR 2017, CPWD Manual and CVC guidelines as amended from time to time.

6.2.	Appendix-A, Page 29 'Description of services Clause. 6.2- Terms of Payment & conditions etc.	Initially 10% of the estimated cost of the works will be paid to the consultant as mobilization charges on signing of the MoU on submission of the equivalent Bank Guarantee which will be utilized as and when required during the first quarter and will be subsequently adjusted in the final bill.	Advance Payments as per clause 4.3 of Special Conditions of Contract to the Consultant shall be made on submission of equivalent Bank Guarantees valid till the defect liability period of the respective package.
9.1.	Special Conditions of Contract, Page 23 Clause 9.1 Defect Liability Period	The defect liability period shall be two years from the date of handing over the Project/Work Package to the Employer.	The defect liability period shall be one year from the date of handing over the Project/Work Package to the Employer.

3. उपरोक्त कंडिका 2 के बिन्दुओं में संशोधन (Amendment) पर मंत्रिपरिषद, झारखण्ड के द्वारा मद संख्या 4 के रूप में दिनांक-07.08.2018 को सहमति प्रदान की गयी है।

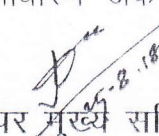
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017 784/राँची, दिनांक 27.08.2018
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।


अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग



पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017 784/राँची, दिनांक 27.08.2018
प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017 784/राँची, दिनांक 27.08.2018
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017 784/राँची, दिनांक 27.08.2018
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, कदवन बांध अंचल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु /उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/994 /2017 784/राँची, दिनांक 27.08.2018
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
जल संसाधन विभाग